भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 477
दिनांक 22 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की प्रगति

477 **श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः**

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वर्तमान प्रगति क्या है तथा इसके अंतर्गत कितने लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है; और
(ख) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके अंतर्गत कितनी धनराशि वितरित की गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) और बालिका तथा महिला सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान करने में सहायता करती है। यह योजना विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, शामिल करके और सशक्त बनाकर बालिका के प्रति मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। 15वें वित्त आयोग की अवधि में, मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के एक घटक के रूप में बीबीबीपी का विस्तार किया गया है ताकि बहुक्षेत्रीय कार्यकलापों के माध्यम से देश के सभी जिलों को शामिल किया जा सके जिससे बुनियादी स्तर पर प्रभाव डालने वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को बढ़ावा मिल सके। बीबीबीपी सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज

एवं व्यापक पैमाने पर जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकत्रित करके एक नीतिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गई है।

बीबीबीपी का मुख्य उद्देश्य देशभर में बालिका के प्रति लोगों की सोच में व्यवहारिक और सामाजिक परिवर्तन लाना है। बीबीबीपी की प्रकृति ऐसी है कि लाभार्थियों की संख्या का सटीक आकलन संभव नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में सुधार दिखाई दे रहा है और यह राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2014-15 से 2024-25 के दौरान क्रमशः 918 से बढ़कर 929 हो गया है। शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई आंकड़ों के अनुसार, विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2014-15 में 75.51% से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 83.4% हो गया है।

(ख): प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 01.01.2017 से देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (तेलंगाना को छोड़कर) में कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके अंतर्गत पहली संतान के लिए लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 5,000/- रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। संस्थागत प्रसव के पश्चात पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है, इस प्रकार औसतन एक महिला को कुल 6,000/- रुपए प्राप्त होते है। पीएमएमवीवाई के अंतर्गत दूसरी संतान के लिए भी पात्र लाभार्थियों को 6,000/- रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, बशर्ते दूसरी संतान बालिका हो। इस योजना की शुरुआत (01.01.2017) से 15.07.2026 तक देश भर में लगभग 4.35 करोड़ महिलाओं को 20,446 करोड़ रुपए की लाभ राशि प्रदान की जा चुकी है।
